



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

E-mail:- dfo@lohardaga@gmail.com Ph. & Fax - 06526 - 224285, (O) Jharnet IP No. 36048

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक 2314 / लो० दिनांक 16/5/17

संवा में,

अपर समाहर्ता,
लोहरदगा।

विषय :- लोहरदगा जिला में चिन्हित गैरमजरूवा जंगल-झाड़ी भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 502 / रा० दिनांक 06.05.2017

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र में उल्लेखित मौजा उदरंगी, मसमानो, बेदान एवं आकाशी के उल्लेखित प्लॉटों का स्थल एवं अभिलेख से जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी लोहरदगा द्वारा किया गया एवं उनके पत्र संख्या 394 दिनांक 16.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया जिसकी स्थिति निम्नवत है :-

1. मौजा उदरंगी के खाता संख्या 221, प्लॉट संख्या 546 एवं 1610 रकबा क्रमशः 21.82 एकड़ एवं 19.46 एकड़ वन भूमि से बाहर है।
2. मौजा मसमानो के खाता संख्या 426, प्लॉट संख्या 2689 रकबा 10.22, प्लॉट संख्या 2692 रकबा 8.20 एकड़, प्लॉट संख्या 2694 रकबा 27.80 एकड़, प्लॉट संख्या 2771 रकबा 11.10 एकड़, प्लॉट संख्या 2677 रकबा 11.02 एकड़ एवं प्लॉट संख्या 2678 रकबा 8.10 एकड़ अधिसूचित वन भूमि नहीं है।
3. मौजा बेदान के खाता संख्या 332, प्लॉट संख्या 715 रकबा 45.00 एकड़ अधिसूचित वन भूमि नहीं है।
4. आपके पत्र में मौजा आकाशी के उल्लेखित हाल खाता संख्या 485, हाल प्लॉट संख्या 150 रकबा 32.62 एकड़ जिसका आर.एस. खाता संख्या प्लॉट संख्या 138 एवं 141 है जो विभागीय अभिलेख के अनुसार सीमांकित वन भूमि है जिसमें साल के वृक्ष अवस्थित हैं एवं वन विभाग के कब्जे में है।

कण्डिका संख्या 1, 2 एवं 3 में उल्लेखित ग्रामों के उल्लेखित सभी प्लॉट वनरोपण योग्य हैं, परन्तु उक्त प्लॉटों का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट होगी।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी,
16/5/17
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।



न्यायालय :- प्राधिकृत पदाधिकारी, -सह- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।
समाहरणालय परिसर, लोहरदगा।

E-mail:- dfo-lohardagga@gov.in Ph. & Fax - 06526 - 224285, (O) Jharnet IP No. 36048

पत्रांक 2974/लो०

दिनांक 23/8/18

सेवा में,

अपर समाहर्ता,
लोहरदगा।

विषय:

लोहरदगा जिलान्तर्गत किस्को प्रखंड एवं कुडू प्रखंड में क्षतिपूरक वन रोपण हेतु चयनित गैर मजरूआ भूमि का स्थल जाँच के संबंध में।

प्रसंग:

आपका ज्ञापांक 577/रा० दिनांक 24.05.2017 एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुडू का पत्रांक 205 दिनांक 21.08.2018

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित कुडू प्रखंड के मौजा सलगी के खाता संख्या 352 खेसरा संख्या 381 रकबा 7.67 एकड़ का स्थल जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुडू द्वारा किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुडू के जाँच प्रतिवेदन पत्र संख्या 205 दिनांक 21.08.2018 के अनुसार मौजा सलगी के हाल खाता संख्या 352 खेसरा संख्या 381 दर्शित रकबा 7.67 एकड़ वन भूमि से बाहर हैं एवं वनरोपण योग्य है। परन्तु स्थल पर सीमांकन नहीं होने के कारण अतिक्रमण एवं प्रस्तावित भूमि का वास्तविक रकबा स्पष्ट नहीं हो पाया।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आपका विश्वासी,

23/8/18
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।

